



2026:AHC:169374

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26607 वर्ष 2026

मुकुल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : बृजेश कुमार मिश्रा  
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : आनंद प्रताप सिंह, शासकीय अधिवक्ता, मनीष कुमार

---

**न्यायालय संख्या- 66**

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार मिश्रा तथा प्रथम सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद प्रताप सिंह के साथ श्री मनीष कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बसंत कुमार को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 44 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 80, 85, 115(2), 352, 351(3), 238 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना मंडी धनौरा, जनपद अमरोहा में पंजीकृत मामले में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. दिनांक 31.07.2026 के आदेश के अनुपालन में इस मामले के दोनों विवेचक, अर्थात् उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार तथा सुश्री अंजलि कटारिया, पुलिस उपाधीक्षक, अमरोहा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने प्रथम सूचनादाता तथा अन्य साक्षियों के दूसरे कथन की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव प्रस्तुत की। उक्त पेन ड्राइव को इस न्यायालय के मॉनिटर पर चलाया गया। यह पाया गया कि केस डायरी में अभिलिखित कथन प्रथम सूचनादाता तथा मृतका के भाई की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग में उपलब्ध कथन से भिन्न है। विवेचक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रथम सूचनादाता तथा अन्य साक्षियों के भारतीय अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित प्रथम कथनों की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी।

4. इस न्यायालय का मत है कि इस प्रकार स्वयं अपनी ओर से कथन अभिलिखित करने की ऐसी प्रवृत्ति पूर्णतः अनुचित है और पारदर्शिता के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत अभिलिखित कथन की भी श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, अधिमानतः पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिला पुलिस प्रमुखों को जारी परिपत्र के अनुसार ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से। तथापि, इस न्यायालय को अपेक्षा है कि भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही पुनः नहीं की जाएगी।

5. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक मृतका का पति है, जिसकी मेडिकल कॉलेज, मेरठ में प्रसवोत्तर जटिलताओं के कारण उसके माता-पिता की उपस्थिति में मृत्यु हो गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी चार माह से अधिक के विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा प्रथम सूचनादाता एवं उसकी पत्नी के कथन के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका की मृत्यु प्रसवोत्तर जटिलताओं के कारण हुई थी, क्योंकि मृतका के शल्य-चिकित्सा के पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ था और आरोप यह है कि जब प्रथम सूचनादाता के परिवार के सदस्य मृतका के विवाह के समय दिए गए उपहार वापस लेने के लिए आवेदक के घर आए, तो वे वापस नहीं किए गए। अतः दहेज की मांग अथवा उसके संबंध में उत्पीड़न का कोई प्रश्न नहीं था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचनादाता तथा उसकी पत्नी के कथनों से स्पष्ट है कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट की मात्र पुनरावृत्ति थे और विवेचक ने स्वयं प्रथम सूचनादाता तथा उसकी पत्नी के कथन लिखे थे। अतः आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 14.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों तथा अभिलेख के परिशीलन के उपरांत यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु प्रसवोत्तर जटिलताओं के पश्चात हुई, साथ ही चिकित्सक की ओर से हुई लापरवाही का तथ्य भी है। अतः मृत्यु का कारण अप्राकृतिक प्रतीत नहीं होता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 118 के अंतर्गत उपधारणा लागू होने के लिए अप्राकृतिक मृत्यु मूलभूत आवश्यकता है। अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 3038** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक- **मुकुल**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

11. आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर, संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किए जाने तथा इस आशय के उपक्रम के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, रिहा किया जाए।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

14. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीति-रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए आदेश, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है, तथा पीला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में रिट याचिका (दांडिक) संख्या 169 वर्ष 2025 में दिनांक 29.05.2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर अमरोहा कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से आवेदक को तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से भेजी जाए।

15. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12 अगस्त, 2026

नीतू

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।